आज़ादी का अमृत महोत्सव भीम BHIM

(110)

राजस्थान सरकार
रोजगार सेवा निदेशालय
दरबार स्कूल कैम्पस, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर

क्रमांकः–प1(3)मु.यु.सम्बल योजना /21–22/ 918 दिनांक 25-1-2

परिपत्र

मुख्य मंत्री युवा सम्बल योजना – 2021 दिनांक 01 जनवरी 2022 से सम्पूर्ण राज्य में लागू हो चुकी है। नई योजना में अधिकतम 2 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान कर लाभान्वित करना है। अधिकतम सीमा तक लाभान्वित करने के उद्देश्य योजना के निम्न बिन्दुओं को स्पष्ट किया जाता है–

1. जिन आशार्थियों ने इन्टर्न हेतु सहमति प्रदान की है, उन्हें विभाग द्वारा इन्टर्न पर भिजवाने पर 15 दिवस के अन्दर सम्बन्धित कार्यालय/विभाग में इन्टर्नशिप ज्वाइन कर निर्धारित प्रारूप में प्रथम ज्वाइनिंग रिपोर्ट रोजगार कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।
2. 15 दिवस की अवधि में ज्वाइनिंग नहीं करने पर बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जायेगा।
3. इन्टर्नशिप हेतु ज्वाइनिंग करने के बाद लगातार अधिकतम 2 साल अथवा पात्रता की शर्ते पूर्ण करने तक प्रतिमाह उपस्थिति प्रमाण पत्र रोजगार कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा। माह में एक दिवस से अधिक की अनुपस्थिति पर नियमानुसार भत्ता काटा जायेगा।
4. लगातार एक माह से अधिक इन्टर्नशिप से अनुपस्थित रहने पर बेरोजगारी भत्ता बन्द (STOP)कर दिया जायेगा।
5. रोजगार विभाग द्वारा इन्टर्नशिप अथवा कौशल प्रशिक्षण हेतु भेजे जाने हेतु ऑनलाईन सन्देश भेजे जाते है। सन्देश भेजे जाने के 15 दिवस में आशार्थी इन्टर्नशिप अथवा कौशल प्रशिक्षण हेतु ऑनलाईन सहमति प्रदान नहीं करता है तो यह मानते हुए कि वह इन्टर्नशिप अथवा कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने का इच्छुक नहीं है और उसका बेरोजगारी भत्ता बन्द कर दिया जायेगा।
6. ऐसे आशार्थी जो प्रोफेशनल कोर्स नहीं किये हुए है उन्हें राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा रोजगार योग्य बनाने हेतु तीन माह या उससे अधिक का कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। निगम द्वारा कौशल प्रशिक्षण पर भिजवाये जाने के 15 दिवस में यदि आशार्थी कौशल प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होता हैं, तो यह मानते हुए कि वह कौशल प्रशिक्षण का इच्छुक नहीं है, बेरोजगारी भत्ता बन्द कर दिया जायेगा।
7. कौशल प्रशिक्षण के दौरान वह नियमित रूप से अपनी उपस्थिति सम्बन्धित रोजगार कार्यालय को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करेगा।
8. 01 जनवरी 2022 से Approved व Verified आशार्थियों को इन्टर्नशिप अथवा कौशल प्रशिक्षण पर एक साथ भिजवाया जाना संभव नहीं होने अथवा **कोरोना महामारी** गाईडलाइन की अनुपालना को ध्यान में रखते हुए सन्देश भेजे जाने, सहमति प्राप्त होने, ज्वाइनिंग रिपोर्ट देने, उपस्थिति प्रमाण–पत्र भिजवाने, प्रशिक्षण पर जाने आदि औपचारिकताओं के पूर्ण होने तक नवीनतम दरों पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाना है।

9. पात्रता की शर्तें पूर्ण नहीं करने पर अविलम्ब बेरोजगारी भत्ता बन्द (STOP) कर दिया जायेगा। इसके बाद वेरिफाईड आशार्थियों की सूची में से अधिकतम 2 लाख की सीमा तक नवीन आशार्थी अप्रूव किये जायेगे।
10. पोर्टल में संशोधन के दौरान ऑफलाईन प्राप्त इर्न्टनशिप व कौशल प्रशिक्षण आवेदनों को अविलम्ब ऑनलाईन अपडेट करे। अब योजना का सम्पूर्ण कार्य ऑनलाईन ही किया जायेगा।

(महेश शर्मा)
निदेशक

क्रमांकः–प1(3)मु.यु.सम्बल योजना /21–22/ दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सहायक, आयुक्त, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, जयपुर।
3. समस्त रोजगार कार्यालय, राजस्थान।
4. निजी सहायक, निदेशक, रोजगार सेवा निदेशालय, जयपुर।
5. कार्यालय/रक्षित पत्रावली।

सहायक निदेशक (प्रशिक्षण)